कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक: 4513 /7–पं0 / स्व.भा.मि.(ग्रा.) / 2025–26 दिनांक: 30-सितम्बर, 2025

समस्त खण्ड विकास अधिकारी
(दूबेपुर, मदैंया एवं कुड़वार को छोड़कर)
जनपद–सुलतानपुर।

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत फीकल स्लज मैनजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5/555/2025–26/02/2022 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2025 (छाया प्रति संलग्न) एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 3365 दिनांक 24 जुलाई, 2025 का संदर्भ लें, जिसके द्वारां पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–18/7/2025 SBM-II-DDWS दिनांक 20 मार्च, 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि 10 मार्च, 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Manual : Faecal Sludge Management-2021 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के आधार पर भूमि चयन एवं अन्य कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना 2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है, जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। ऐसे जनपद जहा नगर विकास विभाग द्वारा एफएसटीपी / एसटीपी, को ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नही है, ऐसे जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराये जाने हेतु स्थल चयन की सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

वार्षिक कार्य योजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपद में कम से कम दो स्थल चिन्हित किये जाना आवश्यक है। FSTP निर्माण में स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओ का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है–

1. **पर्याप्त भूमि उपलब्धता**
   - **FSTP** की क्षमता के अनुरूप भूमि की उपलब्धता।
   - सामान्यतः **6-10 KLD FSTP** के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड भूमि की आवश्यकता।
   - जनपद में ऐसी स्थल/भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डों के ग्रामों को अच्छादित किया जा सके। जिनकी प्रस्तावित **FSTP** से अधिकतम दूरी **15km** एवं पहुंच मार्ग सुगम हो।
2. **भू–जल स्तर एवं भमि का प्रकार**
   - जल भराव रहित, समतल और ठोस भूमि होनी चाहिए।
   - भूमि ऐसी हो जहां भू–जल स्तर अधिक ऊचां न हो ताकि प्रदूषण की संम्भावना से बचा जा सके।
3. **दूरस्थता (लोकेशन)**
   - नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250–500 मीटर की दूरी
   - रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गंध, शोर या संक्रमण से बचा जा सके।
4. **पहुँच मार्ग (Accessibility)**
   - स्थल तक टैंकर्स का आवागमन के लिए उपयुक्त सड़क मार्ग हो।

- पूरे वर्ष सड़क सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।

5. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबन्धन

- उचित जल निकासी **(drainage)** की व्यवस्था।
- वर्षा के जल के निकास की समुचित व्यवस्था।

6. पर्यावरणीय स्वीकृति एवं नियम

- भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबन्ध न हो (जैसे–वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)।
- राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप।
- स्थानीय सामुदाय की सहमति।
- भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक है।
- सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिलिता सुनिश्चित होती है।

7. भूमि का स्वामित्व

- सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दे ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो।
- यदि निजी भूमि मिल जाये तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता

- बिजली, पानी और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल की समीप हो।
- प्लांट का संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिए चयनित की जाने भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
- भूमि का चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में है) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।

9. भविष्य में विस्तार की संभावना

- भविष्य में बढ़ती आवश्यकतानुसार के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफएसटीपी/एसटीपी, को ट्रीटमेन्ट इकाई को भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	निर्मित/प्रस्तावित प्लांट का विवरण	लिंकेज विकास खण्ड का नाम (15 किलो मीटर परिधि में आने वाले)	चयनित स्थल एवं भूमि की आवश्यकता
1	दूबेपुर	पल्हीपुर में **25 KLD (FSTP)** लोलेपुर में **10 MLD (STP)** पल्हीपुर में **5 MLD (STP)** करौदिया देहात में **2 MLD (STP)**	दूबेपुर, कुड़वार, भदैया,	नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई/सीवेज ट्रीटमेन्ट इकाई
जनपद के उक्त विकास खण्डों को छोडकर शेष विकास खण्डों में से कम से कम 01 स्थल का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है।				

उक्त के क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय पत्र संख्या 3834 दिनांक 21 अगस्त, 2025 द्वारा सम्बन्धित विकास खण्डो से फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिनांक 25.08.2025 तक कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की

अपेक्षा की गयी थी, परन्तु समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित विकास खण्डों द्वारा प्रस्ताव कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विकास खण्डों से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु उपरोक्त बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था/निर्देशों के अनुसार अपने विकास खण्ड की किसी एक ग्राम पंचायत से **(6-10 KLD FSTP की क्षमता या अधिक के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड)** स्थल/भूमि का सम्बन्धित उप जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित कर चिन्हांकन कराते हुए ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखों (खसरा, खतौनी, ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही रजिस्टर, स्थल का नजरी नक्शा एवं लेखपाल की संस्तुति) सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में **दिनांक 03.10.2025** तक जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि शासन स्तर पर धनराशि की मांग हेतु कार्यवाही अग्रसारित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अंकुर कौशिक)
मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृष्ठांकनसंख्या: 4513 /7–पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि: **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
2– जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
2– जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर।
3– उप निदेशक (पंचायत) अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4– सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद सुलतानपुर।
6– सम्बन्धित पंचायत सचिव/प्रधान ग्राम पंचायत जनपद सुलतानपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

File: फीकल स्लज मैनेजमेन्ट P.04

Custodian: 2120115 34184145 Initial: Sb
भो0 स0 61 0 / लेखाकार